Shri Nambiar:
Shri P. Gopalan:
Shri C. K. Chakrapani:
Shri Bhogendra Jha:
Shri K. M. Madhukar:
Shri Seshiyan:
Shri Ambashagan:

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the radio talk of the West Bengal Labour Minister scheduled for the 1st May, 1967 was cancelled as a result of editing of certain portions of the script by the A.I.R.;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether any principles have been or are being framed in regard to the editing of scripts for broadcast?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b). The Radio talk of the West Bengal Labour Minister was cancelled because the Station Director Calcutta, on reading the script of the talk, found that certain references appeared to violate the accepted code of conduct which *inter alia* did not permit reference to any political party by name and which did not permit any thing contrary to the provisions of the Constitution. He requested the Labour Minister for an opportunity for a personal discussion to be able to bring these points to his notice. The Station Director did not edit the Minister's broadcast. The Minister declined to discuss his script and cancelled the broadcast.

(c) The principles guiding all broadcasts are that no political party should be referred to by name and nothing contrary to the provisions of the Constitution should be permitted.

'Hawa Mahal' Feature broadcast by A.I.R.

66. **Shri S. C. Samanta:**
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the features being broadcast every day at 9-15 P.M. by A.I.R. under the caption "Hawa Mahal" are being repeated too often and are not considered by the listeners in good taste;

(b) whether it is a fact that the items of expenditure in the A.I.R. have been of late increased in favour of English programmes, talks and features etc. to the detriment of programmes of Indian languages specially Hindi;

(c) whether it is a fact that with the change of Director-General, the language policy of the A.I.R. have also undergone change; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्ध

67. **श्री क० नि० मधूकर :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा नेपाल के बीच अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप वांछनीय परिणाम निकल रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री चु० ह० चावला): (क) भारत सरकार ने भारत और नेपाल के बीच परम्परागत अच्छे पड़ोसी के-से संबंधों

को समुन्नत करने के लिए कई उपाय करते हैं। शांति और मैत्री संधि 1950 और व्यापार एवं वाणिज्य संधि 1950 के द्वारा जो संशोधित और नवीकृत होकर व्यापार और मार्ग संधि 1960 हुई इन संबंधों को एक हद तक औपचारिकता मिली है। भारत और नेपाल के बीच पीढ़ियों पुराने संबंध बहुत स्तरों पर हैं और हर स्तर पर उन्हें बनाए रखने और सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

भारतीयों और नेपालियों द्वारा समान सीमा पार करके मुक्त रूप से आने जाने की जो परम्परा है, उसे बनाए रखा गया है और इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क निरन्तर बढ़े हैं और गहरे हुए हैं। कई सौ मील लम्बी बिल्कुल खुली भारत-नेपाल सीमा दोनों देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की एक निशानी है और रही है। दिसम्बर 1965 में नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज, अप्रैल 1966 में नेपाल की मंत्रि परिषद के प्रधान मंत्री श्री सूर्य बहादुर थापा की भारत यात्रा और अक्तूबर 1966 में हमारी प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा से दोनों देशों के बीच समझ-बूझ और मित्रता और भी मजबूत हुई है। हमारी प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर 7 अक्तूबर 1966 को जो सम्मिलित विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें यह कहा गया है कि दोनों सरकारें प्रधान मंत्री की यात्रा को दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और विकसित करने में एक महत्व-पूर्ण कड़ी के रूप में मानती हैं। उस समय जो बातचीत हुई थी उससे साफ मालूम होता है कि गुटमुक्ति तथा शांतिपूर्ण सहजीवन के सिद्धांतों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के प्रति दोनों देशों के दृष्टिकोण में समानता है। दोनों सरकारों ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर समान दृष्टिकोण रखने की पुनः पुष्टि की।

व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में नियमित रूप से आने जाने और विचार विमर्श से दोनों देशों के बीच समझ बूझ बढ़ी है। व्यापार एवं मार्ग संधि 1960 में निहित मामलों के प्रति और समझ-बूझ पैदा करने के लिए दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के बाद एक समझौता ज्ञापन पर 27 दिसम्बर 1966 को काठमंडू में हस्ताक्षर किए गए थे। इस ज्ञापन में यह सहमति हुई थी कि नेपाल के साथ व्यापार और मार्ग व्यापार की विभिन्न समस्याओं तथा पहलुओं का अध्ययन करने के लिए कई समितियां बनाई जाएं। नेपाल से भारत में आयात को सुविधाजनक बनाने पर निर्णय लिए गए और मार्ग यातायात तथा द्विपक्षीय व्यापार एवं वाणिज्य के मामलों से संबद्ध अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जो समझौता हुआ उसके आधार पर नेपाल के साथ व्यापार करने और उसे मार्ग सुविधाएं देने से संबद्ध विभिन्न मामलों पर बातचीत करने के लिए दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की अंतर्सरकारी सम्मिलित समिति की एक बैठक मार्च 1967 में दिल्ली में हुई। इन सावधिक मीटिंगों से दोनों देशों के बीच वाणिज्यक संबंधों का अध्ययन होता है और कभी कभी उठने वाली समस्याओं का पता चलता है और वे तय कर ली जाती हैं। अंतर्सरकारी सम्मिलित समिति की बैठक भारत में और फिर नेपाल में हर तीसरे महीने एक बार हुआ करेगी।

नेपाल के साथ भारत के आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम बहुमुखी है और उसमें कई क्षेत्रों का कार्य आता है। वह अब काफी बड़ा हो गया है और पिछली पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार ने नेपाल आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए। अक्तूबर 1966 में भारत की प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान हमने इस बात को दोहराया कि हम इस क्षेत्र में नेपाल की सहायता करते रहने को तैयार हैं और इस बात की घोषणा की गई कि पिछले

पांच वर्ष की अवधि की अपेक्षा चालू पांच वर्ष की अवधि में भारत नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम पर दुगनी धनराशि खर्च करने को तैयार रहेगा। नेपाल सरकार ने आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम की और पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में कई प्रायोजनाओं पर होने वाले अमल की सामान्य गति की सराहना की है। कोसी प्रायोजना जैसी आपसी लाभ की योजनाएं भी हैं। 19 दिसम्बर 1966 को भारत सरकार और नेपाल सरकार ने संशोधित कोसी करार किया जिससे पश्चिमी कोसी नहर पर काम शुरू किया जा सकेगा। इससे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी और बिहार के काफी बड़े इलाकों में अन्न की पैदावार बढ़ सकेगी।

(ख) नेपाल के साथ हमारे पीढ़ियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों के संदर्भ में हम यह महसूस करते हैं कि हमने जो कई कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है उनसे हमारे दोनों देशों के बीच परम्परागत अच्छे पड़ोसी के-से संबंधों को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Kerala Regional Daily Papers

68. Shri E. K. Nayanar: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any discrimination is shown by Government in supplying advertisement to the Kerala regional daily papers; and

(b) if so, how much advertisement has been given by Government to the Malayalam daily papers in Kerala during the last one year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir. A uniform policy is followed in regard to release of advertisements to newspapers in various States regardless of regional considerations and there has been no discrimination with regard to the newspapers published in the Kerala State.

(b) Does not arise.

Lease of Grazing Land

69. Shri Hem Raj: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether his Ministry had taken on lease the grazing land from the inhabitants of Chari in District Kangra in 1939 with grazing rights;

(b) if so, the rental value and the rent being paid to the Panchayat of Chari at present;

(c) whether it is a fact that the terms of the lease expired in 1960-61;

(d) if so, whether those lands have been vacated and if not, the reasons therefor;

(e) whether it is also a fact that the defence authorities are now prohibiting the inhabitants to graze their cattle in that land; and

(f) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). 1614.50 Kanals of land in Chari village, Kangra District, were taken over free of rent with the consent of the landowners for the duration of last World War and six months thereafter. On termination of the War, the land, except for 227.45 Kanals was relinquished. This area and an adjoining area of 243.20 Kanals, were taken on lease for 15 years from 1st October, 1946, at an annual rental of Rs. 873.50. Sanction for extension of the lease upto 31st March 1967 has been accorded and the rent of Rs. 873.50 has been paid upto 30th September, 1964. Action is also in hand to pay the rent for the remaining period.

(d) to (f). The land is in the active use and occupation of the Army and the question of its vacation does not therefore arise. The lease does not give a right to the landowners to graze their cattle.

Bomb Explosion Near Chhamb

70. Shri Atam Das: Will the Minister of **Defence** be pleased to state: